केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2017/01311

सेवा में,

दिनांक 14.11.2017

श्री सुनील,
म.नं. – सी/21-ए,
कर्दम फार्म, जौहरीपुर,
दिल्ली – 110094.

विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 25.10.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 31.10.2017 को डायराइज हुआ (डायरी सं. 174773) तथा केन्द्रीय सूचना आयोग का कार्यालय अगस्त क्रांति भवन से बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका स्थानांतरित होने के कारण दिनांक 09.11.2017 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, के संदर्भ में वांछित सूचना निम्नानुसार है:-

आपके द्वारा मांगी गई सूचना के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि आपके आवेदन के साथ संलग्न शिकायत पत्र आपके द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित नहीं किया गया है, इसलिए आपके शिकायत पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है । साथ ही यह भी अवगत करवाया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों/विभागों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है । केन्द्रीय सूचना आयोग में केवल सूचना अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) के तहत प्राप्त द्वितीय अपीलों/शिकायतों पर सुनवाई होती है । आर.टी.आई. के अतिरिक्त किसी अन्य अपीलों/शिकायतों पर सुनवाई करना या कार्यवाही करना केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रशासनिक/न्यायायिक क्षेत्र से बाहर है ।

यदि आप प्रदान की गई उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067 पर की जा सकती है ।

अशोक कुमार शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
15 NOV 2017
D. No.........
Initials.........

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
15 NOV 2017
D. No.........
Initials.........